International Journal of All Research Education and Scientific Methods (IJARESM), ISSN: 2455-6211
Volume 10, Issue 2, February -2022, Impact Factor: 7.429, Available online at: www.ijaresm.com

चम्बल घाटी के बागियों (डाकू) के आत्मसमर्पण तथा उत्थान में सुब्बाराव का योगदान

डॉ॰ एजाज अहमद[1], सुनील कुमार[2]

[1]एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, वाई॰एम॰डी॰ कॉलेज, नूंह (मेवात)
[2]शोध छात्र, इतिहास एवं पुरातत्त्व विभाग महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक (हरियाणा)

----------**********----------

1. चम्बल घाटी की पृष्ठभूमि

मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्रों में बहती हुई चम्बल, यमुना और इसकी सहायक नदियों से जमीन कटने से कोई 18 लाख एकड़ भूमि बीहड़ पड़ी है, जो कहीं–कहीं 150 या 200 फुट तक भी गहरी है। ऐसे बीहड़ बागियों को छिपकर आपने काम करने के लिए बड़े मददगार साबित होते थे। इस समस्या से प्रभावित जिले हैं–

"क) मध्य प्रदेश – भिण्ड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना।
ख) उत्तर प्रदेश – आगरा, इटावा, एटा, मैनपुरी, फर्रूखाबाद।
ग) राजस्थान – भरतपुर एवं सवाई माधोपुर।"[1]

इन जिलों में लूट और कत्ल साधारण बात सी हो गई थी।

चम्बल घाटी में चल रही विचित्र समस्या की शुरूआत 800–900 वर्ष पहले से बताई जाती है। उस समय की ऐतिहासिक परिस्थिति के कारण अनेक लोग समाज से विद्रोह करने को बाध्य हुए। "बाहर की हुकुमतों ने स्थानीय लोगों पर प्रभाव डालने के प्रयास ने स्थानीय शासक एवं हुकुमतों के विरोध में अलग तरह का आंदोलन छेड़ा था।"[2] इस कार्य में उनको स्थानीय शासकों का प्रोत्साहन तथा समर्थन मिलता था।

8–9 शताब्दियों से विद्रोह के प्रकार तो बदलते रहे, लेकिन समाज में विद्रोह की यह प्रक्रिया स्थायी होती गई। जैसे–जैसे लड़ाई के नए–नए शास्त्रों का आविष्कार होता गया, वैसे–वैसे ही बागियों के हाथ में भी आधुनिकतम शस्त्र आते गए जैसे–तलवार, तीर–कमान की जगह आधुनिक बंदूक तथा हथगोला प्रयोग में आ गया।[3] स्वाभाविक बात है कि इस परिवर्तन से हानि भी अधिक होने लगी। इसका परिणाम यह हुआ कि देश में विदेश में भी चम्बल घाटी अशान्ति के नाम से जानी जाने लगी। हिंसा का इतना विस्तार हुआ। गांव–गांव और घर–घर में लूटमार एवं कत्ल होने लगे। यहाँ के लोग भी हिंसा के इतने आदि हो गये कि बराबर यह बोलते रहे कि, "चम्बल घाटी के पानी में ही हिंसा भरी पड़ी है।"[4]

भारत देश को स्वतंत्रता भले ही मिल गई थी। लेकिन चम्बल घाटी में बागी समस्या के चलते देश और प्रदेश की सरकारें बेबस थी। यहाँ बागी समस्या के चलते अंचल में नातो विकास का सूत्रपात हो सका और ना ही यहाँ के लोगों को शिक्षित होने के अवसर मिल सके। कसी भी विकास कार्य के लिए बीहड़ों की हुकूमत की अनुमति आवश्यक थी। 'साठ के दशक में चम्बल घाटी के क्षेत्र में बागियों की हिंसा चरम सीमा पर थी। बीहड़ों में किसी सरकार की नहीं अपितु बागियों की बंदूकों की हुकूमत चलती थी।[5] इस दौर में बीहड़ों में गरजती बागियों की बंदूक ही यहाँ के लोगों की बड़ी चुनौती थी। बीहड़ों के कानून को मानना ही इन समस्याओं का समाधान था। यहाँ तक कि, "सामाजिक एवं पारिवारिक विवादों का निराकरण न्यायालयों के बजाए बीहड़ों में बागियों द्वारा किया जाता था।[6] यहाँ तक कि समाज में विवाह शादी तय कराने में भी बीहड़ों में डेरा डाले हुए बागियों की अहम् भूमिका होती थी। किसी भी मामले में बीहड़ों के फैसले की ना तो कोई अपील थी और ना ही सुनवाई। 'बागियों के हुक्म की नाफरमानी का एक ही अर्थ होता था, उस नाफरमान की मौत।'[7] चम्बल घाटी का क्षेत्र उस समय बागियों के आतंक के चलते गांव गोठ ही नहीं अपितु कस्बा और शहरों के रास्ते शाम होने से पहले ही सहम जाते थे। अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित जनमानस सूर्यास्त से पहले अपने घरों के दरवाजें बंद करना मुनसिफ समझते थे। शायद ही कोई ऐसा दिन होता होगा जब अंचल में बागियों की हिंसा और खून–खराबे की खबर नहीं आती थी।

एक समय चम्बल घाटी के क्षेत्र में 250 बागी थे, उस समय जब पुलिस सक्रिय बनी तो उनमें से 60–70 बागियों को मौत के घाट उतार दिया और 20–25 को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अगले ही साल क्षेत्र में बागियों की गणना हुई तो पता चला कि 275 बागी क्षेत्र में है। चम्बल के संदर्भ में ऐसी घटना बहुत कम होती थी, जब पुलिस सीधे अपने आप बागियों का पता लगाये, और आमने–सामने की मुठभेड़ में उनको मार गिराये। इनके बीच में मुखबिर या दलाल होते थे जो इस कार्य में पुलिस की सहायता करते थे। कभी–कभार तो बागी इनको जान से भी मार देते थे। बागियों की ऐसी व्यूह रचना रहती थी कि वे अपने सहयोगियों को मारने वाले का पता तुरन्त लगा लेते थे। इस प्रकार से बागियों का अगला कदम मुखबिर से बदला लेने का हो जाता था। 'कई लोग मिलकर ऐसे लोगों को जान से मार देते थे, उनमें

[1] पाण्डेय, अजय कुमार, राय, संजय कुमार, 2020, *यादें अंचल की, डॉ॰एस॰एन॰ सुब्बाराव*, नई दिल्ली, पृ॰ 13
[2] वही, पृ॰ 12
[3] वही, पृ॰ 12
[4] वही, पृ॰ 12
[5] परमार, रणसिंह एवं शुक्ला, जगदीश, 2017, डॉ॰एस॰एन॰ सुब्बाराव के आलोक में चम्बल (मैं चम्बल बोल रही हूँ), पृ॰ 3
[6] वही, पृ॰ 3
[7] वही, पृ॰ 3

बागियों के रिश्तेदार तथा मित्रजन हो इस प्रकार से बदला लेने की घटना के बाद यदि वह व्यक्ति भाग जाने में कामयाब हो जाता तो वह नया बागी बन जाता।[8] इस तरह से एक बागी के मरने से उसके स्थान पर चार नए बागी पैदा हो जाते थे। यहीं कारण था बुन्देलखंड क्षेत्र में सैकड़ों बागी मारे गये, लेकिन बागियों की संख्या ज्यों की त्यों रहीं।

2. विनोबा के भूदान आंदोलन में बागी आत्मसमर्पण

भारत आजाद होते ही उस समय के चम्बल घाटी के प्रसिद्ध डाकूओं के गिरोह में से एक के मुखिया मानसिंह ने भारत सरकार के पास संदेश भेजा था।[9] मान सिंह ने अपने संदेश में कहा था कि, "हम बागियों की लड़ाई विदेशी हुकूमत से थी और वे हम देश के लिए जान देने को तैयार थे। अब बदली हुई परिस्थितियों में हम नया जीवन शुरू करना चाहते हैं और अपने प्राणों को देश की सेवा के लिए न्यौछावर करना चाहते हैं।[10] लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें कुछ उत्तर नहीं मिला। बल्कि पुलिस के कुछ उच्च अधिकारियों ने यह राय प्रकट की कि सैकड़ों बागियों को जान से मारने के बाद भी समस्या का समाधान न होने के कारण इसके लिए कोई नया रास्ता तलाश करना ठीक होगा। अधिकारियों की राय यह थी कि चम्बल घाटी के अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा या देखते ही गोली मारने के आदेश हो, यही उचित समझा। उन्होंने हर संभव प्रयास करना आवश्यक समझा। यह मानकर कि, "बागियों की संख्या चार–पांच सौ होगी तो उनकी समस्या के निराकरण के लिए 25 हजार पुलिस तथा वाहन व शस्त्र के विशेष साधनों की व्यवस्था की गई।"[11]

इस अभियान को सफलता 1955 में तब मिली जब पुलिस की गोली से 'मानसिंह तथा उनका पुत्रा सुबेदार सिंह' शिकार हो गये।[12] एक वर्ष बाद दूसरी सफलता तब मिली जब पुलिस ने मानसिंह के पुत्र तहसीलदार सिंह को जीवित गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के समय तहसीलदार की बंदूक में गोली होती तो शायद वे उससे आत्महत्या कर लेते क्योंकि, "वे लोग जीवित गिरफ्तारी से अधिक मरना पसंद करते थे।"[13] धोखे से तहसीलदार सिंह के पैर में गोली मार दी गई जिसके कारण वे चलने में सक्षम न रहे। स्वयं वे अपने साथियों को आग्रहपूर्वक उस स्थान से हटा दिया और तहसीलदार सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चम्बल घाटी के बागी अनेक अपराधों के बाद जब गिरफ्तार होते थे तब वे यह सोचकर ही जाते थे कि फांसी के तख्ते पर लटकना है। तहसीलदार सिंह की भी यही तैयारी थी और तहसीलदार सिंह के विरोध में कई मुकदमे थे। जिनमें उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई और तब से 17 वर्ष की लंबी अवधि तक तहसीलदार सिंह ने फांसी की सजा भुगतने वाली काल कोठरी में जीवन बिताना शुरू किया।

बागी तहसीलदार सिंह को फांसी की सजा होने के बाद उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा के नाते आचार्य विनोबा भावे को पत्र लिखकर दर्शन की इच्छा प्रार्थना की। साथ में तहसीलदार सिंह ने अपने लिखे पत्र में चम्बल घाटी की दर्दभरी कहानी का भी वर्णन किया। उनको इस बात का दुःख था कि उनका जन्म स्थान चम्बल घाटी है जो चारों ओर हिंसक घटनाओं के लिए बदनाम थी। इस हिंसक प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए प्रशासन की ओर से शताब्दियों से प्रयास हो रहा है, लेकिन यह भी मानते हैं कि रूढ़िवादी तरीकों से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। उसका एकमात्र विकल्प संतमयी तरीकों का उपयोग है, क्योंकि, "चम्बल के बागी बराबर रामायण का अध्ययन करते हैं और उनके दिलों में तुलसीदास जी यह बात घर कर चुकी है कि संतों की बात सुने तो उसका परिणाम हमेशा लाभकारक होता है।"[14] यह स्वाभाविक था कि तहसीलदार सिंह का मन संत विनोबा भावे जी की तरफ गया।

मध्यप्रदेश के कार्यकर्त्ता 'हरसेवक मिश्रा एवं प्रेमनारायण शर्मा' विनोबा भावे से मिलने के लिए कश्मीर गये जहाँ विनोबा भावे की पदयात्रा चल रही थी।[15] कुछ दिनों पहले आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में हो रही भयंकर हिंसक प्रवृत्तियों की रोकथाम विनोबा के अहिंसा के संदेश के माध्यम से हुई थी। उस प्रयोग के संदर्भ में विनोबा जो चम्बल घाटी में भी प्रयोग करे। ऐसा विचार पत्रिकाओं के द्वारा भी प्रकाशित किये गये। इस संदर्भ में तहसीलदार का पत्र ने विनोबा भावे के मन पर अच्छा प्रभाव डाला। यह पत्र पढ़कर विनोबा ने अपने दो प्रतिनिधि के तौर पर मेजर जनरल यदुनाथ सिंह को तहसीलदार सिंह से मिलने के लिए नैनी जेल भेजा जो कश्मीर राज्य के 'राज्य सेवा आयोग' के अध्यक्ष थे।[16] जब यदुनाथ तहसीलदार सिंह से नैनी जेल में मिला और इससे बातचीत कर वापिस लौट कर विनोबा जी को अपनी रिपोर्ट दी। जनरल साहब पहले राष्ट्रपति से मिलकर अपनी जेल यात्रा की चर्चा की तो तहसीलदार की फांसी की सजा को स्थगित करने का आदेश दिया गया। परिणामस्वरूप अदालत में उनको फांसी के बजाए 245 वर्ष एकांतवास की सजा दी गई।

विनोबा भावे ने चम्बल घाटी के चुनौती के निमंत्रण को नम्रता से स्वीकार किया। 1960 में आगरा से भूदान आंदोलन यात्रा शुरू करके एक माह तक विनोबा ने इस क्षेत्र में पदयात्रा की। इस दौरान चम्बल घाटी के बागियों से सम्पर्क करके उनको आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार करने में विनोबा जी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। चम्बल घाटी में पहली बार मेजर यदुनाथ सिंह अपने साथ डॉ॰ सुशीला कुमार और श्रीमती इंदिरा गांधी को साथ लेकर भिण्ड (मुरैना) पहुँचे और वहाँ के जन–प्रतिनिधियों से बागियों के समर्पण की चर्चा विनोबा जी के सामने की। इस क्षेत्र के लोगों में समर्पण के समर्थन का वातावरण बना। विनोबा जी के शांति वाहकों से संदेश बागियों तक पहुँचाये गए और तहसीलदार सिंह का भी संदेश बागियों तक पहुँचाया गया था। मानसिंह के गिरोह के सदस्य एक–एक करके समर्पण के लिए विनोबा आश्रम में आये। प्रतिदिन सुबह–शाम संतो ंकी टोली में ईश्वर के गुण–गान करके सद् विचारों को फैलाते गए। लोगों के साथ–साथ बंदूकधारी बागी भी पदयात्रा में शामिल हुए। विनोबा की शांति प्रार्थना सभाओं में कई हजार लोगों की भीड़ होती थी और इन सभाओं में बंदूकधारी बागी लोग भी बैठते थे। 5–6 दिन के ऐसे कार्यक्रम के बाद बागियों ने अपने आपको भी पुलिस के हवाले कर दिया। इस प्रकार से मानसिंह गिरोह के 20 बागियों ने आत्मसमर्पण किया। उन्हें जेल की सजा सुनाई गई और 10 साल बाद उन्हें छोड़ दिया गया और विनोबा ने उन्हें भूदान में प्राप्त जमीन बांट दी और वे कुशल किसान प्रभावित हुए।

---

[8] पाण्डेय, अजय कुमार, राय, संजय कुमार, 2020, *यादें अंचल की, डॉ॰एस॰एन॰ सुब्बाराव,* नई दिल्ली, पृ॰ 16
[9] पाण्डेय, अजय कुमार, राय, संजय कुमार, *पूर्वोक्त,* पृ॰ 18
[10] वही, पृ॰ 18
[11] वही,
[12] वही,
[13] वही, पृ॰ 19
[14] पाण्डेय, अजय कुमार, राय, संजय कुमार, 2020, *यादें अंचल की, डॉ॰एस॰एन॰ सुब्बाराव,* नई दिल्ली, पृ॰ 19
[15] वही, पृ॰ 20
[16] वही, पृ॰ 20

चम्बल घाटी में विनोबा के भूदान आंदोलन से कुछ वर्षों तक शांति बनी रही, लेकिन दूसरी ओर बचे हुए गिरोह बढ़ते गए। 5–6 सालों में कई नये गिरोह तैयार हो गये। घाटी में अशान्ति का वातावरण पहले की तरह हो गया। चम्बल घाटी की स्थिति और भी बिगड़ती गई लोगों में जो विनोबा के भूदान आंदोलन के दौरान आशायें बनी थी, अब वो टूटने लगी थी।

दोबारा आत्मसमर्पण की पहल कुछ ही वर्ष बात एक बागी की तरफ से शांति की पहल की गई। जिसका नाम था 'बागी माधो सिंह' जो एक बड़े गिरोह के मुखिया थे।[17] इन्होंने स्थानीय तौर पर एक दो बार आत्मसमर्पण की पहल की थी, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। माधोसिंह अपनी नृशंसता के साथ–साथ होशियारी के लिए भी प्रसिद्ध थे। "एक बार वे पुलिस अधिकारी का वेष धारण कर सिपाहियों को भी सम्बोधित कर आये थे और कोई उन्हें पहचान न सका।"[18]

माधो सिंह ने सुब्बाराव को अपने अपहरण की घटना बताई थी। उन्होंने कहा कि, "उनके गिरोह ने 11 वर्ष के एक बालक को अपहृत किया और उसे अपने छिपने के स्थान पर ले जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने अनुभव किया कि पुलिस दल उन पर भारी पड़ेगा। अतः माधोसिंह ने अपने साथियों को पीछे हटने का आदेश दिया। उसी समय गोलीबारी के दौरान उस 11 वर्षीय बालक की टांग में गोली लग गई थी। आखिर बागी दल अपनी सुरक्षित पनाहगाह में पहुँच गया था। उस रात माधोसिंह सो नहीं पाया। वह सोचने लगा कि हमने इस बालक का अपहरण अपने लाभार्थ फिरौती पाने के लिए किया था, किन्तु उसकी टांग में गोली लग जाने से वह आयु पर्यन्त लंगड़ा हो जाएगा। इसमें उसका क्या अपराध था? माधोसिंह ने स्वीकार किया और उस रात उन्होंने इस नृशंस जीवन को त्यागने की ठान ली थी।"[19] माधोसिंह सोचने लगा– मैं इस नृशंस जीवन से कैसे मुक्ति पा सकता हूँ? इस प्रश्न के उत्तर के लिए माधोसिंह शांतिदूत विनोबा भावे की खोज में लग गया।

बागी माधोसिंह विनोबा से जयप्रकाश की ओर

बागी माधोसिंह को लगा कि 1960 के बागी आत्मसमर्पण के प्रयोगकर्त्ता आचार्य विनोबा भावे द्वारा ही समस्या का समाधान हो सकता है। बागी माधो सिंह अपना भेष बदलकर अपना नाम ठेकेदार रामसिंह रखकर विनोबा से मिलने के लिए पवनार आश्रम पहुँच गया। उन्होंने विनोबा से मिलकर चम्बल घाटी समस्या को सुलझाने के लिए दोबारा आने के लिए नियंत्रित किया तो विनोबा ने कहा कि व इस समय बहुत वृद्ध हो गये हैं और संन्यास लेकर पवनार में ही रहने का निश्चय किया है। माधोसिंह के आग्रह पर विनोबा ने उन्हें कहा कि तुम बाबू जयप्रकाश से इस समस्या समाधान में सहायता ले।

ठेकेदार के भेष में माधोसिंह बाबू जयप्रकाश को खोजते हुए दिल्ली पहुँचे। वहाँ जाकर पता चला कि जयप्रकाश जी पटना में है। वे दिल्ली से पटना पहुँचे। उन दिनों जयप्रकाश बांग्लादेश की समस्या से पूरी तरह से उसमें उलझे हुए थे। उस समय माधोसिंह जयप्रकाश से मिलने गये तो उनको निराशा जनक अनुभव स्वाभाविक था। रामसिंह के भेष में आए माधोसिंह के निमंत्रण को स्वीकार करना तो दूर उनसे बात करने का समय भी मुश्किल से मिला।

माधोसिंह ने दो दिन अपने प्रयासों में विफल रहने के बाद तीसरे दिन अपने सही नाम परिचय दिया, लेकिन जयप्रकाश को समझ में नहीं आया तो तब माधोसिंह ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि, "मैं कोई ठेकेदार रामसिंह नहीं हूँ, बल्कि बागी गिरोह का मुखिया माधोसिंह हूँ जिनके लिए सरकार की ओर से डेढ़ लाख रुपये का ईनाम घोषित किया गया है।"[20] यह सुनकर जयप्रकाश चौंक गया। तब जे॰पी॰ को इस कार्य की अहमियत का अंदाजा लग और चम्बल के प्रश्न पर वे गंभीरता से सोचने लगे। चम्बल समस्या की चर्चा की उन्होंने स्पष्ट किया। यदि अच्छी संख्या में बागी समर्पण कर दें जिससे चम्बल घाटी समस्या के लिए स्थायी समाधान मिल सके, तो वे अपने व्यस्त कार्यक्रमों से भी कुछ समय निकालने का प्रयास करें। माधोसिंह की यही मांग थी और उन्होंने आश्वासन दिया कि अब की बार 100 से अधिक बागी समर्पण करेंगे और उनके लिए वे स्वयं मेहनत करेंगे।

गांधी आश्रम जौरा की स्थापना

सुब्बाराव पहली बार चम्बल घाटी में 1952ई॰ में उनके लिए वृंदावन तोमर के साथ आया। उसके बाद सुब्बाराव 1960 में ग्वालियर की धरती पर विकास कार्यों का जायजा लेने आया। उस समय ग्वालियर के अधिकारियों एवं राजनेताओं का एक बड़ा वर्ग सुब्बाराव के आगे–पीछे लगकर उसकी इच्छाओं को जानने को तत्पर था। सुब्बाराव के जन–कल्याणकारी विचारों और अनूठी कार्यशैली को लोगों ने बहुत नजदीक से देखा था। भाई जी ने इस क्षेत्र को अपनी कर्मभूमि बना लिया।

सुब्बाराव ने चम्बल में शांति स्थापना और देश के युवाओं को श्रम संस्कार देने के लिए श्रम शिविरों की शृंखला संचालित की। सुब्बाराव ने चम्बल घाटी के जौरा में 1964 में एक युवा शिविर का आयोजन किया था। देशभर से शिविर में शामिल युवाओं द्वारा नियमित दिनचर्या के साथ बस्ती और आस–पास के गांव में जनोपयोगी श्रमदान किया जाता था। शिविर की इस व्यवस्था के चलते यहाँ की संस्कृति से परिचित होते थे। संस्कृति के अलावा सामाजिक पहलुओं की जानकारी प्राप्त होती थी। सुब्बाराव कई बार ग्वालियर गये वे हर बार बागियों द्वारा किया जा रहे हिंसा की घटनाओं की रोकथाम में अपनी गहरी रूचि दिखाते रहे, चम्बल घाटी में उनके जाने का कार्यक्रम भले ही कुछ भी होता था, लेकिन हर बार चम्बल घाटी की बागी समस्या और वहां की परिस्थितियों पर गंभीरता से विचार कर इसके निदान के लिए विचार करते थे। सुब्बाराव ने चम्बल की बागी समस्या को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए इसके खात्मे का संकल्प अपने मन में लिया।

सुब्बाराव को अपनी योग्यता एवं कार्यकुशलता के कारण देश के प्रधानमंत्री पं॰ जवाहरलाल नेहरू के अति निकट विश्वासपात्रों में गिना जाता था। सुब्बाराव को सेवादल की जिम्मेदारियों के साथ '1969 में गांधी शताब्दी वर्ष समारोह समिति'[21] द्वारा आयोजित गांधी दर्शन रेल यात्रा का

[17] सिंह, गुरूदेव, 2017, *मेरी जीवन माला के मोती*, नई दिल्ली, पृ॰ 82
[18] वही, पृ॰ 82
[19] सिंह, गुरूदेव, 2017, *मेरी जीवन माला के मोती*, नई दिल्ली, पृ॰ 82
[20] वही,, पृ॰ 84
[21] परमार, रणसिंह एवं शुक्ला, जगदीश, 2017, डॉ॰एस॰एन॰ सुब्बाराव के आलोक में चम्बल (मैं चम्बल बोल रही हूँ), पृ॰ 5

दायित्व एवं महात्मा गांधी के कृतित्व को जन–जन का संयोजक बनाया गया। देशभर में लोगों ने सरकार के इन प्रयासों को जम कर सराहा। गांधी दर्शन की रेलयात्रा के दौरान ही सुब्बाराव ने अपने सहयोगी एवं रेलयात्रा में शामिल युवाओं से एकत्रित 6071 रुपये की छोटी–सी राशि से चम्बल की गोद में जौरा कस्बे में 'महात्मा गांधी सेवा आश्रम' की स्थापना के लिए लोगों से जनसहयोग की अपील की। सुब्बाराव की इस अपील का व्यापक असर हुआ और औपचारिक रूप से '27 सितम्बर 1970 को' कुछ स्थानीय गणमान्य नागरिकों और सहयोगियों की उपस्थिति में आश्रम की स्थापना भाई जी ने की।[22] आश्रम की स्थापना को लेकर सुब्बाराव का विचार था कि, "इसे एक ऐसे केन्द्र के रूप में विकसित किया जाये जहाँ समाज के हर वर्ग की सहभागिता के लिए हर प्रकार की गतिविधियों का संचालन किया जाए।"

जयप्रकाश नारायण नवम्बर 1971 में सर्वोदय सम्मेलन के लिए भोपाल आये। उस समय सम्बन्धित कार्यकर्त्ता तथा मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के साथ चम्बल घाटी की बागी समस्या पर विस्तृत चर्चा की और यह आय योजना बनी कि–

1. जयप्रकाश की बागियों के नाम की गई अपील की प्रतियां छपेंगी और चम्बल क्षेत्र में बंटेगी।
2. सर्वोदय कार्यकर्त्ता माधोसिंह तथा अन्य बागियों से सम्पर्क करेंगे और उनको समर्पण के लिए तैयार करेंगे।
3. शासन समर्पण कार्य में सहायता करेगा और समर्पण के निश्चित समय पर क्षेत्र को शांति क्षेत्र बनाएगा जिसमें पुलिस की कार्यवाही स्थगित रहेगी।[23]

जय प्रकाश इनके अलावा प्रधानमंत्री, केन्द्रीय गृहमंत्री एवं चम्बल से सम्बन्धित तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिले और उन सबसे बागी समस्या पर चर्चा की और बागी समर्पण के प्रति अच्छा दृष्टिकोण निर्मित हुआ।

बागियों को आत्मसमर्पण के लिए किया तैयार

बागी समर्पण के लिए पिछले समर्पण में काम किये अनुभवी सूर्योदय कार्यकर्त्ता जैसे– श्री महावीर भाई, एस॰एन॰ सुब्बारावख हेमदेव शर्मा, प्रेमनारायण शर्मा, लल्लू दादा, भगवत सिंह, स्वामी कृष्णानंद, श्री चरण सिंह आदि कार्यकर्त्ता बागी समर्पण के कार्य में जुट गए। इनके साथ में 1960 में समर्पण किये हुए बागी जिनमें बागी लोकमन दीक्षित, श्री हरेलाल, तेजा सिंह, भूपसिंह आदि इस कार्यक्रम में शामिल हो गये। जिनसे अन्य बागियों से सम्पर्क साधने तथा उनसे बातचीत करने में सुविधा हुई। इसके साथ–साथ श्री तहसीलदार सिंह को जेल को छोड़कर इस कार्य में लगाने का भी प्रयास चला और कुछ प्रयास के बाद वे बरेली जेल से छूटकर बागी समर्पण के कार्य में लग गये। उनके सहयोगी भावी भूतपूर्व मानसिंह गिरोह के सदस्यों से और भी सहायता मिली।

'सूर्योदय कार्यकर्त्ताओं व अन्य सहयोगियों ने दिन–रात एक करके चम्बल के बीहड़ों में छान–छान कर बागियों से सम्पर्क किया। कार्यकर्त्ताओं को दिसम्बर–जनवरी की ठंडी में बर्फ जैसे पानी में नदी पार करनी पड़ती थी। धूप में मीलों पैदल चलना और दुष्कर बीहड़ों में कितनी ही बार रास्ता भूल जाना। कभी–कभी पूरी रात तक चक्कर काटने पर एक भी बागी से मिलना नहीं होता था। लेकिन कार्यकर्त्ता जानते थे कि वे एक महान प्रयास में लगे है और वे ईमानदारी से अपने कार्य में जुटे रहें।"[24]

मध्य प्रदेश में इस समय श्यामचरण शुक्ल मुख्यमंत्री थे और इसी दौरान राजनैतिक परिवर्तन होकर प्रकाश चंद सेठी राज्य के नये मुख्यमंत्री बने। प्रकाश चंद सेठी सुब्बाराव के साथ दिल्ली में जयप्रकाश से मिले। उस समय गाँधी निधि के मंत्री देवेन्द्र भाई भी वार्तालाप में शामिल हुए। जय प्रकाश ने अपनी ओर से यह स्पष्ट किया कि, "विनोबा भाई संत थे, इसलिए वे कह सके कि फांसी भी हो सकती है, तो भी बागी आत्मसमर्पण कर दें। लेकिन मैं संत नहीं हूँ और मैं ऐसा कह नहीं सकता हूँ। यदि मुझे फांसी दिलाने के लिए कोई बुलाये तो मैं वहाँ नहीं जा सकता। इसलिए मैं किसी को फांसी होने की स्थिति में समर्पण करने के लिए बोल नहीं सकूंगा।"[25] सरकार ने सब बात मान ली और सेठी ने जयप्रकाश से कहा कि चम्बल घाटी में अहिंसक प्रक्रिया से बागी समस्या हल हो रही है, तो वे थोड़ा समय बुंदेलखंड के लिए भी निकाले और उस इलाके के बागियों का भी समर्पण करवायें।

दिल्ली में जयप्रकाश, सुब्बाराव और सेठी ने भोजन करने के बाद यह निर्णय लिया कि बागियों का सामूहिक समर्पण 14 अप्रैल 1972 को जौरा जिला मुरैना में स्थित महात्मा गांधी सेवा आश्रम में होगा। इस संदर्भ में बागियों की ओर से आगे एक व्यवहारिक संशोधन को सहर्ष स्वीकार किया गया। गोहर सिंह के नेतृत्व में बागियों की आधी संख्या 14 अप्रैल को और बाकी बचे हुए बागी माधोसिंह के नेतृत्व में 15 अप्रैल को आत्मसमर्पण करेंगे। जयप्रकाश ने हृदयस्पर्शी प्रेरित करने वाला निवेदन तैयार किया और उसकी 10000 प्रतियां तैयार करवा कर सारी चम्बल घाटी में वितरित करवा दी। महान आत्मसमर्पण के लिए जौरा में महात्मा गांधी सेवा आश्रम का स्थान निश्चित किया। 100 से अधिक बागी जौरा से 7 मील दूर पगारा 'धारेरा' गांव में एकत्रित हो गये। गांव वालों ने तोरण द्वार लगाकर हृदय परिवर्तन कर रहे आत्मसमर्पणकारी बागी भाईयों का स्वागत किया। बागी तथा उनके परिवार के लोग उनसे मिलने आगे। जय प्रकाश पगारा स्थित एक पुराने डाक बंगले में ठहरे और साथ में उनकी पत्नी प्रभावती, सुब्बाराव, नारायण देसाई तथा देवेन्द्र भाई कुछ अन्य लोग भी वहीं रहें। इन दो दिनों में जय प्रकाश बारी–बारी से विभिन्न बागी गिरोहों से मिले।

मोहर सिंह ने कार्यकर्त्ताओं से कहा कि वह बाबू जी से पूरी गहराई से चर्चा करना चाहता और उसके बाद ही समर्पण का विचार करेगा। जब कार्यकर्त्ताओं ने मोहरसिंह को जयप्रकाश से मिलने के लिए बुलाया। मोहर सिंह जयप्रकाश के सामने जाने को तैयार हुए तब साथ के कार्यकर्त्ताओं ने पूछा तो मोहर सिंह ने कहा– "अरे मैं कैसे इतने महान् व्यक्तित्व से बात कर सकूंगा? मुझे तो हिम्मत नहीं आती है, मेरी ओर से आप ही बात कर लेना।"[26]

---

[22] परमार, रणसिंह एवं शुक्ला, जगदीश, 2017, *पूर्वोक्त,* पृ॰ 6
[23] पाण्डेय, अजय कुमार, *पूर्वोक्त,* पृ॰ 24
[24] पाण्डेय, अजय कुमार, *पूर्वोक्त,* पृ॰ 25
[25] वही, पृ॰ 25
[26] जोशी, प्रभाष, मिश्र अनुपम गर्ग श्रवण, *चम्बल की बंदूके गांधी के चरणों में,* नई दिल्ली, पृ॰ 21

जब मोहर सिंह को जयप्रकाश के सामने लाया गया तो सूर्योदय कार्यकत्ताओं ने उनसे कहा कि आपने तो बहुत सी बात करनी थी। मोहर सिंह ने कहा, "मुझे कुछ नहीं कहना, आपके दर्शन करने थे, मैं समर्पण करने के लिए आया हूँ। आपका आशीर्वाद चाहिए।" जब समर्पणकर्त्ता बागी और उनके सम्बन्धी पगारा में एकत्रित हुए जे.पी. से मिले। आत्मसमर्पण कार्य की शुरूआत सुब्बाराव द्वारा गाया गीत 'आया हूँ दरबार तुम्हारे' से हुआ।[27] मोहर सिंह, माधो सिंह, मलखान सिंह आदि बागी अश्रुपरित नेत्रों के साथ उपस्थित हुए और पूरे मनोयोग से जे.पी. की अपील को सुना तो हृदय परिवर्तन करने वाली थी। बहनों ने बागी भाईयों को राखी बांधी और प्रभावती देवी ने बागियों को लितक लगाया। सभी बागियों ने जे.पी. के चरण छूये। जे.पी. ने उन्हें गले लगाया और आशीर्वाद दिया।

आत्मसमर्पण के पल (14.04.1972)

समर्पण के लिए 18 फीट की ऊँचाई का विशेष मंच बनाया गया। जिस पर जयप्रकाश उनकी पत्नी, मुख्यमंत्री सेठी उनकी पत्नी और स्वामी कृष्णानंद उपस्थित थे। गृहसचिव आर.सी. राय तथा डी.आई.जी. देवन ने पूरे कार्यक्रम को बारीकी से तैयार किया। वह क्षण आ ही गया जब मोटी गलमुच्छ वाले मोहर सिंह स्टेज पर आये तो उन्होंने हमेशा की तरह पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। गले में माऊजर लटका रखी थी। मोहर सिंह ने जन–समुदाय को प्रणाम किया और बंदूक को आदरसहित माथे पर लगाया। मंच पर आसीन लोगों के चरणों को छूआ और महात्मा गांधी के सामने बंदूक को रख दिया। माईक पर जाकर अपने हाथ जोड़कर राम–राम किया और अपने निजी सहायक नारायण पुजारी से लोगों को अपनी बात बोलने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि, "सबसे राम–राम, हम लोगों ने आपकों बहुत तकलीफ दी है, उसके लिए हमको क्षमा करे। अब हम यह वचन देते है। कि हमारी जिंदगी बनी रही तो हम अपने आपको ऐसे लोगों की सेवा में अर्पित कर देंगे।"[28] जिस हाथ से बंदूक छूट गई उस हाथ में विनोबा द्वारा लिखित गीता प्रवचन तथा स्वामी जी के हाथ से तुलसी रामायण की कृति लेकर मोहर सिंह नीचे उतरे। नीचे मैजिस्ट्रेट की विशेष अदालत लगी थी। वहीं गिरफ्तारी की पूरी कानूनी कार्यवाही की गई। मोहर सिंह 80–90 बागियों के गिरोह का मुखिया था, जो उस समय के खूंखार व खतरनाक माने जाते थे। यह प्रक्रिया आधे घंटे तक चलती रही जब 'माखन सिंह, हरविलास' बागी जैसे 86 चूने हुए बागी मंच पर आये और अपनी कीमती बंदूक गांधी जी की मूर्ति के सामने रखते गये।[29] हाथ में गीता–रामायण लेते गये और एक–एक करके समर्पणकारी आश्रम के प्रांगण में एकत्रित हो गये।

स्वामी जी ने सबको एक प्रति तुलसी–रामायण की दी और मुस्लिम बागियों को एक प्रति कुरान तथा एकमात्र सिख बागी 'विशम्भर सिंह' को गुरूवाणी का गुटका दिया।[30] जिसे ग्रहण कर वे पुलिस के बनाये घेरे में चले गये और पुलिस अधिकारियों ने उनका स्वागत कर उनके नाम एवं सौंपे गये शास्त्रों को लिपिबद्ध किया। हजारों लोगों शांतिपूर्वक जे.पी. के शब्दों को ध्यान से सुना। अंत में मुख्य मंत्री ने उठकर जे.पी. के प्रति आभार व्यक्त किया।

सर्वोच्च न्यायालय और केन्द्र व राज्य सरकार के सहयोग से ग्वालियर केन्द्रीय कारागार के अंदर ही विशेष सैशन कोर्ट स्थापित हुआ। समर्पण किये हुए बागियों से सम्बन्धित सभी प्रकरण इन कोर्टों में स्थानांतरित कर दिये। अदालत के कार्यक्लापों से यह विशेष अनुभव प्राप्त हुआ। कितने ही बागियों ने अपना किया हुआ अपराध स्वीकार कर लिया। इनमें बागी मुखिया नाथुसिंह, माधोसिंह व अन्य बागियों के अपराध स्वीकार करने के बाद न्यायधीशों ने जो निर्णय घोषित किये वे बागियों ने स्वीकार किया और जो अपराध उन्होंने किये थे, लेकिन चार्जशीट में दाखिल नहीं हुए उन प्रकरणों को भी स्वीकार किया।

1974 से 1976 के बागियों का समर्पण

1972 के विशाल बागी समर्पण के बाद चम्बल घाटी में बागी समस्या समाप्त हो गयी थी। इसके अलावा कुछ गिरोह उत्तर प्रदेश, राजस्थान में बच गये तो ये बागी कभी–कभी मध्य प्रदेश में भी चले आते थे। इससे बड़ा खतरा यह था कि गिरोह की संख्या बढ़ जाती और बागी समस्या वैसी ही बनी रह जाती। शांति मिशन के मंत्री श्री महावीर सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार से बचे हुए बागियों के समर्पण के सम्बन्ध में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री हेमवती नंदन बहुगुणा से मिले और बागी परिस्थिति के बारे में बताया। वे सोच रहे थे अब तक किया हुआ कार्य व्यर्थ न जाये। इसके बाद महावीर सिंह, सुब्बाराव, तहसीलदार सिंह लोकमन दीक्षित उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से मिले। इस बैठक में समर्पण कार्य के बारे में निर्णय लिया गया। उसी बीच उत्तर प्रदेश राज्य की स्थिति में परिवर्तन हुआ और नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री बने, लेकिन समर्पण प्रक्रिया चलती रही। 3 जून 1976 को आगरा में समर्पण कार्य सम्पन्न हुआ।[31] इस समय 64 बागियों ने अपने हथियार सहित आत्मसमर्पण किया। समर्पणकारियों को आगरा जेल में रखा गया। राजस्थान राज्य सरकार की ओर से निमंत्रण मिला कि उत्तर प्रदेश में बचे हुए बागियों के समर्पण के लिए भी पहल की जाए। राजस्थान में तहसीलदार सिंह, लोकमन दीक्षित और जेल में सजा काट रहे मोहर सिंह और माधो सिंह को समर्पण की सहायता के लिए बुलाया गया। सुब्बाराव व अन्य सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के प्रयासों से 29 अगस्त 1976 को धौलपुर के निकट तलाबशाही में 26 बागियों ने आत्मसमर्पण किया। उन बागियों को धौलपुर जेल में रखा गया।[32]

चम्बल घाटी में शान्ति कार्य

बुनियादी तौर पर यह स्वीकार कर लेना उचित होगा कि बागी समस्या केवल कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है, बल्कि उसमें अन्य समस्याएँ भी जुड़ी थी। इसी आधार पर समस्या समाधान के लिए भी परम्परागत तरीकों के अलावा कुछ अन्य समाज विज्ञान तथा मनोविज्ञान पर आधारित तरीकों को उपयोग में लेना आवश्यक था। आत्मसमर्पण प्रक्रिया में अहिंसक तरीका अपनाया गया, उस तरीके का विस्तृत पैमाने पर उपयोग भाई जी ने किया। मनुष्य के अपराध करने के बाद उसकी सजा देने की प्रवृत्ति को छोड़कर मनुष्य के अपराध करने वाले कारणों के बारे में अधिक जानना होगा। चम्बल घाटी में अधिक पुलिस थाने खोलने से नहीं बल्कि थानों का काम जनहित होना चाहिए। साथ में यह विचार करना उचित था कि मृत्युदंड या आजीवन कारावास जैसी कठोर सजा मिलती है तो केवल अपराधी सजा नहीं भुगतता

---

[27] वही, पृ. 21
[28] सिंह, गुरुदेव, 2017, *पूर्वोक्त,* पृ. 88
[29] पाण्डेय, अजय कुमार, *पूर्वोक्त,* पृ. 32
[30] सिंह, गुरुदेव सिद्धू, 2017, *पूर्वोक्त,* पृ. 89
[31] विश्वात्मा, द्विजेन्द्र, 2017, *शांति का सूर्योदय, भाई जी के आलोक में चम्बल,* जौरा, पृ. 31
[32] वही, पृ. 31

है, बल्कि उस पर आधारित उसके बच्चे, पत्नी और रिश्तेदारों को भी इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। सुब्बाराव जी को आत्मसमर्पित बागियों से जेल में मिलते समय यह विशेष अनुभव होता था, क्योंकि बंदियों को भोजन–व्यवस्था अच्छी मिलती है तो उनके पूछे जाने वाले प्रश्न यही रहते थे–"हमको तो यहाँ आराम की जिंदगी मिलती है, लेकिन बाल–बच्चे भूखे मर रहे हैं।"[33]

सुब्बाराव ने बागी हिंसा का उन्मूलन 1972 से 1976 के बीच 654 बागियों के हृदय परिवर्तन कर महात्मा गांधी के चित्र के सामने हथियारों को समर्पित किया। इस दौरान चम्बल घाटी के क्षेत्र में एक भी नया डाकूओं का गिरोह नहीं बना। इसका प्रमुख श्रेय सुब्बाराव को जाता है। उनके मार्गदर्शन में घाटी में ग्रामीण युवाओं के लिए लगातार श्रम व संस्कार शिविर आयोजित किये तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शांति सेना स्थापित की।

सुब्बाराव ने शांति केन्द्रों की एक कार्ययोजना तैयार कर मध्यप्रदेश राज्य सरकार को भेजा। लेकिन सरकार की ओर से जवाब मिला कि, "सुब्बाराव जी आपकी योजना बहुत अच्छी है, लेकिन अनुत्पादक है। इसलिए इस योजना को क्रियान्वयन करने कठिनाई है।"[34] सुब्बाराव ने संकल्प लिया था कि चम्बल घाटी और देश भर के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के छात्र–छात्राओं का शांति केन्द्र स्थापित किया और यहाँ पर देश के युवा शिविर में आते और चम्बल घाटी में चल रहे शांति कार्यों को देखकर देशभर में शांति के प्रयोग का संदेश लेकर जाते थे।

आजीवन कारावास के 10 वर्ष पूरे करने वाले बागियों को सरकार ने छोड़ने की शुरूआत की। लेकिन केन्द्रीय कारागार ग्वालियर में 'नाथू सिंह, छोटे सिंह व कुछ अन्य बागी रिहाई की बाट देख रहे थे।[35] लेकिन सरकार उनकी रिहाई के प्रति उदासीन थी। बागियों की रिहाई को लेकर मध्यप्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए सुब्बाराव ने 'केन्द्रीय कारागार ग्वालियर' के सामने अनशन किया।[36] सुब्बाराव को बागियों से किये गये अपने वादे और उनके बीच गलत संदेश न जाये इसको लेकर चिंता थी। सुब्बाराव के अनशन के परिणामस्वरूप दो माह बाद एक दर्जन बागी रिहा हुए। भाई जी ने बड़े शांत और अहिंसक कार्यशैली के द्वारा बागियों को आत्मसमर्पण करवाया। फिर अपने वादे को पूरा किया। सभी आत्मसमर्पणकारियों को रिहा करवाया और चम्बल घाटी में शांति स्थापित की।

नई पहचान

आज चम्बल घाटी विकास की ओर करवट लेकर गांधीवाद के आदर्शों के साथ शांति, अहिंसा और देश–प्रेम के उद्घोषों का हमसफर बन चुका है। अब यह डाकू बागियों की चम्बल घाटी नहीं अपितु गांधी के आदर्शों को अपने जीवन में जीने वाले सुब्बाराव तथा उनके त्याग और आदर्शों के हमसफर बने पी॰वी॰ राजगोपाल का चम्बल बन गया। जिन्होंने हिंसा के मार्ग पर भटकने वाले चम्बल के बागियों का हृदय परिवर्तन कराकर उन्हें गांधीवाद का पाठ पढ़ाया।

आजादी के बाद कदाचित पहली बार हिंसा पर अहिंसा की विशाल जीत पर देश–दुनिया का गांधी के आदर्शों की अनुगामी बनने के लिए प्रेरित किया। सुब्बाराव की पहल पर ही विकास कार्यों के लिए सरकार से उम्मीद रखने की बजाए चम्बल घाटी के युवाओं ने अपने हाथों में कुदाल ओर फावड़ा उठाकर अपने विकास की कहानी खुद लिखना शुरू किया। सुब्बाराव के सद्प्रयासों से यहाँ के लोगों को न केवल बागी समस्या से निजात दिलाई अपितु विकास से कोसों दूर चम्बल घाटी के लिए यह एक नये युग की शुरूआत थी।

चम्बल घाटी के डाकूओं को समर्पण करने के लिए प्रेरित करना तथा उनसे सम्पर्क कर उन्हें आत्मसमर्पण का लाभ समझाया जाता था।

[33] पाण्डेय, अजय कुमार, *पूर्वोक्त,* पृ॰ 43
[34] दीक्षित, राकेश 2017, *बागियों के रिहाई के लिए अनशन, (जन संगठन एकता परिषद के राष्ट्रीय समिति के सदस्य है, भाई जी के आलोक में चम्बल,* जौरा, पृ॰ 27
[35] वही, पृ॰ 27
[36] वही, पृ॰ 27